

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 253
दिनांक 12 दिसंबर, 2024

नये पेट्रोल पम्पों का आवंटन

†*253. श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में नए पेट्रोल पंपों के आवंटन के लिए वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने नए पेट्रोल पंप प्रस्तावित और वितरित किए गए;
- (ख) पात्रता, स्थान-चयन और अन्य संगत कारकों सहित नए पेट्रोल पंपों के आवंटन के लिए निर्धारित मानदंड और दिशानिर्देश क्या हैं;
- (ग) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कुल कितने पेट्रोल पंप बंद हुए और उनके बंद होने के संबंध में नियमों का अनुपालन न करना, वित्तीय व्यवहार्यता या अन्य कारकों जैसे कारण क्या हैं;
- (घ) क्या सरकार की बंद पड़े पेट्रोल पंपों के बुनियादी ढांचे का अन्य सार्वजनिक या निजी कार्यों के लिए पुनः प्रयोजन निर्धारित करने या उपयोग करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) दूरदराज, ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में लोगों की ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पेट्रोल पंपों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“नये पेट्रोल पम्पों का आबंटन” के संबंध में संसद सदस्य श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 253 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड): दिनांक 01.04.2002 से प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) को विघटित करने के बाद, खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरों का चयन/निरस्तीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा स्वयं ही किया जाता है।

पीसीयू ओएमसीज द्वारा आरओ नेटवर्क (शहरी/ग्रामीण में) का विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है जिससे देश भर में पेट्रोल और डीजल जैसे मोटर ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। क्षेत्र सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर पीएसयू ओएमसीज द्वारा पहचाने गए स्थलों पर आरओज की स्थापना की जाती है। पर्याप्त संभाव्यता वाले स्थल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थलों पर आरओज स्थापित करने के लिए इसे विपणन योजना में नामांकित किया जाता है। पीएसयू ओएमसी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले और मौजूदा डीलरशिप चयन दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया को पूरा करने वाले चयनित आवेदकों को आरओ डीलरशिप प्रदान करती हैं। पारदर्शिता बनाए रखते हुए पात्र आवेदकों के बीच लॉटरी ड्रॉ/बोली की ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर चयन किया जाता है। देश में आरओ डीलरशिपों के आबंटन के लिए विस्तृत मानदंड/दिशानिर्देश www.petrolpumpdealerchayan.in/perol-2023 वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दिनांक 01.11.2024 की स्थिति के अनुसार पीएसयू ओएमसीज के पास ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में 24,045 आरओज सहित कुल 83,612 आरओज नेटवर्क है।

पीएसयू ओएमसीज ने दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्र सहित अखिल भारत आधार पर 49,964 आरओ डीलरशिपों के चयन के लिए जून, 2023/जुलाई, 2023 में विज्ञापन जारी किया है। जिसमें से 21,320 आरओज के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी कर दिए गए हैं और 1740 आरओज स्थापित किए गए हैं। जून, 2023/जुलाई, 2023 में पीएसयू ओएमसीज द्वारा विज्ञापित किए गए स्थलों के राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दी गई है।

पीएसयू ओएमसीज ने बताया है कि आज की तारीख के अनुसार अस्थायी रूप से 3,970 गैर-प्रचालनरत आरओज है जो इस वित्त वर्ष में गैर-प्रचालनरत आरओ हैं उसके कई कारण हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डीलरों के वित्त संबंधी मुद्दे, व्यापार लाईसेंस का स्थगन, पारिवारिक विवाद, कम बिक्रियां आदि शामिल हैं। वर्तमान में, अन्य सार्वजनिक अथवा निजी उपयोग के लिए ऐसे अस्थायी रूप से गैर-प्रचालन वाले आरओज के बुनियादी ढांचे का पुनः उपयोग करने अथवा इस्तेमाल करने की कोई योजना नहीं है।

‘नये पेट्रोल पम्पों का आवंटन’ के संबंध में संसद सदस्य श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 253 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

नए खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने के लिए विज्ञापित किए गए स्थानों की पीएसयू-ओएमसी की राज्य-वार संख्या		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विज्ञापित किए गए कुल स्थान
1	अंडमान और निकोबार	17
2	आंध्र प्रदेश	2104
3	अरुणाचल प्रदेश	239
4	असम	941
5	बिहार	1552
6	चंडीगढ़	6
7	छत्तीसगढ़	1359
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	46
9	दिल्ली	138
10	गोवा	235
11	गुजरात	3174
12	हरियाणा	2729
13	हिमाचल प्रदेश	641
14	जम्मू एवं कश्मीर	643
15	झारखंड	1105
16	कर्नाटक	4112
17	केरल	1509
18	लद्दाख	34
19	लक्षद्वीप	5
20	मध्य प्रदेश	2342
21	महाराष्ट्र	5186
22	मणिपुर	0
23	मेघालय	225
24	मिजोरम	84
25	नागालैंड	115
26	ओडिशा	1453
27	पुद्दुच्चेरी	110
28	पंजाब	1625
29	राजस्थान	2787
30	सिक्किम	70
31	तमिलनाडु	4151
32	तेलंगाना	1975
33	त्रिपुरा	152
34	उत्तर प्रदेश	6609
35	उत्तराखंड	583
36	पश्चिम बंगाल	1908
कुल योग		49964